

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या: 262, दिनांक 29-08-2021

जनपद जौनपुर से रु0 50,000/- तथा जनपद सुलतानपुर एवं अम्बेडकरनगर से रु0 25-25 हजार के पुरस्कार घोषित/वांछित शातिर लुटेरे दीपक तिवारी को एसटीएफ उ0प्र0 ने सुलतानपुर से किया गिरफ्तार।

दिनांक 28-08-2021 को एसटीएफ, उ0प्र0 को जनपद जौनपुर से रु0 50,000/- तथा जनपद सुलतानपुर एवं अम्बेडकरनगर से रु0 25-25 हजार का इनामी/वांछित शातिर लुटेरे दीपक तिवारी को थाना क्षेत्र दोस्तपुर, जनपद सुलतानपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

दीपक तिवारी उर्फ अर्पित तिवारी पुत्र सुनील तिवारी नि0 चौबाहा, थाना सरपतहा, जनपद-जौनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 1— 01 अदद तमन्चा 12 बोर।
- 2— 03 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
- 3— 01 अदद मिस कारतूस 12 बोर।
- 4— 11,060/- रु0 नगद।
- 5— 01 अदद वोटर आईडी।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान—

दिनांक 28-08-2021 समय 23.45 बजे देशी शराब की दुकान के पास गौसेसिंहपुर बाजार, थाना दोस्तपुर, सुलतानपुर (उ0प्र0)

विगत काफी दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ मुख्यालय, लखनऊ के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के क्रम में दिनांक 28-08-2021 को उपनिरीक्षक श्री शिवनेत्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 मनोज सिंह, आरक्षी रमेश उपाध्याय, अमित कुमार की एक टीम जनपद सुलतानपुर में अभिसूचना संकलन हेतु भ्रमणशील थी। इसी दौरान अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जनपद जौनपुर से रु0 50,000/- तथा जनपद सुलतानपुर एवं अम्बेडकरनगर से रु0 25-25 हजार का इनामी/वांछित शातिर लुटेरा दीपक तिवारी थाना क्षेत्र दोस्तपुर के गौसेसिंहपुर बाजार में देशी शराब की दुकान के पास मौजूद है, इस सूचना पर तत्काल एसटीएफ टीम ज्ञात स्थान पर पहुँचकर वांछित अपराधी दीपक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष—2017 में रंगदारी व हत्या का प्रयास कर जनपद आजमगढ़ से अपराध जगत में प्रवेश किया। इसने दिनांक 13.06.2021 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2.30 के बीच अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना क्षेत्र कादीपुर व दोस्तपुर की सीमा पर अल्प समय में 03 लूट की घटनाओं का शातिर तरीके से इंजाम दिया जिसमें ग्राहक सेवा केन्द्र पलिया देवपुर पर शुभम पाण्डेय की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रायः यह लूट की घटनाओं को स्वयं अचानक रैकी कर अपने साथियों के साथ मिलकर कारित करता है जिसमें मुख्य रूप से शराब ठेका, डाक्टर के क्लीनिक में घुसकर, ग्राहक सेवा केन्द्र, पेट्रोल टंकी, भाड़े पर हत्या की घटनाओं को अंजाम देता है। इस प्रकार इस पर अब तक करीब 2 दर्जन अभियोग जनपद आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर के विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं।

वर्षवार क्रिवण निम्नवत् हैं—

1. **वर्ष—2019** में सायं करीब 4 बजे नन्दगांव गोठांव, थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ में अपने साथी राजन यादव व शैलेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ एस०पी० के साथ मिलकर पेट्रोल पम्प पर 39 हजार रुपये की लूट किया।
2. **वर्ष—2019** में सायं करीब 7 बजे अंग्रेजी शराब ठेका बिलारमऊ थाना पवर्झ आजमगढ़ में अपने साथी राजन यादव व शैलेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ एस०पी० के साथ मिलकर प्लेटिना मो०सा० से लूट किया जिसमें मात्र 1500 रुपय मिला था।
3. **वर्ष—2019** में सायं करीब 8 बजे ठेकमा बाजार में डा० मौर्या की विलनिक में अपने साथी राजन यादव व मनीष पाठक के साथ मिलकर, सुपर स्पेलेन्डर मोटर साइकिल (काले रंग की) से 15,000 रुपये की लूट किया।
4. 13 मार्च 2019 में दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के बीच अग्रहरि आभूषण केन्द्र गायत्री बाजार थाना खुटहन जौनपुर में दिन—दहाड़े अपने साथियों दिग्विजय उर्फ भोलू, मनीष पाठक, राजन यादव, शैलेन्द्र प्रताप सिंह यादव उर्फ एस०पी० के साथ मिलकर चोरी की मो०सा० काले रंग की सुपर स्पेलेन्डर व चोरी की काले रंग की पल्सर मोटर साइकिल से लूट की घटना को वीभत्स तरीके से अंजाम दिया जिसमें करीब 20—22 कि०ग्रा० चांदी लगभग डेढ़ किलो ग्राम सोना व करीब 5 लाख रुपया नकद की लूट किया। घटना के समय पब्लिक द्वारा रोकने का प्रयास कर पथराव किया गया तो स्वयं व साथियों ने मिलकर भरी बाजार में पिस्टल व 315 बोर के कट्टे से बाजार में करीब 15 राउण्ड फायरिंग की गई जिसमें एक टैम्पों चालक की मौके पर मृत्यु हो गई तथा दुकान मालिक श्याम जी अग्रहरि के सिर में व एक अन्य व्यक्ति के हाथ में गोली लगी थी, जिसमें कई लोग बुरी तरह घायल हुए थे।
5. **वर्ष 2019** में स्वयं, करिया प्रजापति (प्रधान) नि०—पलिया थाना सरपतहा जौनपुर के घर के पास प्राथमिक विद्यालय पर जाकर अपराहन 3 बजे जाकर धमकी देकर 5 लाख रुपये की रंगदारी मांग किया था।
6. **वर्ष—2020** में थाना खेतासराय जौनपुर में 10 लाख रुपये में हत्या की सुपारी लेकर अपने साथी कल्लू यादव, शैलेन्द्र यादव के साथ लूट की पल्सर मोटर साइकिल (काली/लाल) से हत्या करने गया था, परन्तु पुलिस की सजगता के कारण हत्या नहीं कर पाया और मुकदमा पंजीकृत हो गया था, जिसमें वर्तमान में वांछित है।

7. **मई 2021** में दोपहर करीब 3 बजे थाना चांदा अन्तर्गत ग्राहक सेवा केन्द्र पर अपने साथी अभिषेक शुक्ला व माधवेश तिवारी के साथ चोरी की अपाची मोटर साइकिल से 5500 रुपये की असलहा दिखाकर लूट किया था।
8. **वर्ष-2021** में ही सायं करीब 8:30 बजे अपने साथी अंबुज यादव के कहने पर सरैया बाजार थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर में डाक्टर की क्लीनिक पर अपने साथी अंबुज यादव, प्रशान्त पाण्डेय उर्फ कल्लू पंडित, खोटू यादव उर्फ छोटू अजय निषाद के साथ मिलकर चोरी की सुपर स्पेलेन्डर काली व एक स्पेलेन्डर से 5000 रुपये की लूट किया।
9. **दिनांक 13.06.2021** को अपराहन 11 बजे से 3 बजे के बीच एक ही दिन में अलग-अलग जगहों पर अपने साथी हिमांशु सिंह व अभिषेक शुक्ला के साथ मिलकर 3 घटनाओं को अंजाम दिया था जिसमें चोरी की अपाची मोटर साइकिल व एक सुपर स्पेलेन्डर हल्की काले लाल रंगी का प्रयोग किया था। घटना के समय प्रशान्त पाण्डेय उर्फ कल्लू पंडित व माधवेश तिवारी अपाची मो०सा० से बैकअप दे रहे थे। जिसमें (i) पहली घटना पड़ेला कस्बे में डाक्टर की क्लीनिक पर करीब 11 बजे 5500 रुपये की लूट डाक्टर के सिर पर कट्टे की बट से चोट मारकर किया था (ii) पलिया देवापुर थाना दोस्तपुर में ग्राहक सेवा केन्द्र पर 12 बजे अपराहन में अपने साथी अभिषेक शुक्ला के कहने पर 3500 रुपये की लूट किया। (iii) जब पलिया देवापुर की घटना के समय पब्लिक ने दौड़ा लिया तो भागकर पुनः दूसरी तरफ 500 मीटर बाद जाकर पलिया दोस्तपुर में ही ग्राहक सेवा केन्द्र में करीब 2:30 बजे ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक को गोली मारकर 38 हजार रुपया लूट लिया। पब्लिक दौड़ाने व पथरबाजी करने पर पिस्टल से 4-5 राऊण्ड फयर किया जिसमें एक गोली शुभम पाण्डेय ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक को लग गयी थी, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी।

उल्लेखनीय है कि यह अल्प आयु का कुख्यात किस्म का लुटेरा है जो राह चलते रैकी कर अपने साथियों के साथ तत्काल घटना को अंजाम देता है तथा कम साथियों के साथ घटना करने पर विश्वास रखता है। घटना में चोरी व लूटे गये वाहनों का प्रयोग करता है। घटना के समय स्वयं वाहन चलाता है एवं घटना कारित करने के बाद मुख्य सड़क का प्रयोग न करके गलियों के रास्ते से फरार हो जाता है। अधिकतर यह मुख्य सड़क का प्रयोग आने जाने में भी नहीं करता है।

दीपक तिवारी उर्फ अर्पित तिवारी का आपराधिक इतिहास:-

क्र०सं०	मु०आ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	165 / 21	394 भादवि (वांछित)	जलालपुर	अम्बेडकरनगर
2	322 / 21	302 भादवि (वांछित)	कादीपुर	सुलतानपुर
3	355 / 21	395, 412 भादवि (वांछित)	कादीपुर	सुलतानपुर
4	122 / 21	392, 411 भादवि (वांछित)	सरपतहा	जौनपुर
5	217 / 21	392, 402 भादवि (वांछित)	सरपतहा	जौनपुर
6	144 / 21	396, 412 भादवि (वांछित)	दोस्तपुर	सुलतानपुर
7	145 / 21	395, 412 भादवि (वांछित)	दोस्तपुर	सुलतानपुर
8	11 / 17	307 भादवि	कादीपुर	सुलतानपुर
9	257 / 17	356, 386, 341, 411 भादवि	पर्वई	आजमगढ़
10	357 / 17	356, 386, 341, 441 भादवि	पर्वई	आजमगढ़
11	22 / 19	392 भादवि	मेहनगर	आजमगढ़
12	22 / 19	392 भादवि	निजामाबाद	आजमगढ़
13	22 / 19	392 भादवि	अतरौलिया	आजमगढ़

14	25 / 19	392 भादवि	कप्तानगंज	आजमगढ़
15	27 / 19	392 भादवि	देवगाँव	आजमगढ़
16	36 / 19	392 भादवि	सिधारी	आजमगढ़
17	44 / 19	394 भादवि	गम्भीरपुर	आजमगढ़
18	45 / 19	386 भादवि	सरपतहा	जौनपुर
19	81 / 19	396, 412 भादवि	खुटहन	जौनपुर
20	83 / 19	392 भादवि	बदलापुर	जौनपुर
21	375 / 19	3(1) यूपी गै0एक्ट	खुटहन	जौनपुर
22	217 / 20	399, 402 भादवि	सरपतहा	जौनपुर
23	22 / 21	120, 115 बी, भादवि	सरपतहा	जौनपुर
24	355 / 21	395, 412 भादवि	कादीपुर	जौनपुर
25	194 / 21	3 / 25 भादवि	दोस्तपुर	सुलतानपुर

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना दोस्तपुर, जनपद—सुलतानपुर पर मु0अ0सं0 194 / 2021 धारा 3 / 25 आर्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।